(5)

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ
Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Med. Sciences,
Raibareli Road, Lucknow- 226 014 (U.P.), INDIA
Phones: 0522-2668004-8,2668700-800-900 Fax: 91-0522- 2668017,2668078

पत्र सं0 पी0जी0आई0 / आर0एस0डी0सं02249 / 21 / मु0चि0अ0 / अधि0 / 1875 / 2024 दिनांक 11/06/2024

कार्यालय आदेश

दिनांक 01—04—2005 अथवा उसके पश्चात नियुक्त संस्थान के विभिन्न कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्रदान किये जाने विषयक प्रेषित प्रत्यावेदनों एवं रिट याचिकाओं सं0 रिट—ए 8901 ऑफ 2023 (अखिलेश कुमार शर्मा एवं अन्य बनाम स्टेट आफ यू0पी0 एव अन्य) में पारित आदेश दिनांक 09—11—2023 एवं याचिका सं0 रिट—ए 9773 ऑफ, 2023 (लता सचान एवं 45 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य) के अनुक्रम में चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन को संस्थान द्वारा समय—समय पर प्रेषित पत्रों स0 पी0जी0आई0 / मु0चि0अ0 / अधि0 / 849 / 2021दिनांक01—03—2021,सं0 पी0जी0आई0 / मु0चि0अ0 / अधि0 / 2953 / 2021 दिनांक 07—09—2021, सं0 पी0जी0आई0 / मु0चि0अ0 / अधि0 / 1641 / 2022 दिनांक 25—05—2022, पत्रसं0पी0जी0आई0 / मु0चि0अ0 / अधि0 / 57 / 2023 दिनांक 05—01—2023 तथा पत्र सं पी0जी0आई0 / मु0चि0अ0 / अधि0 / 1182 / 2024 दिनांक 09—04—2024 के माध्यम से आदेश / परामर्श हेतु अनुरोध किया गया था। उक्त के अनुक्रम में चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा पत्र सं0 फाईल नं071—2005(0010 / 46 / 2023)—2— दिनांक 24 अप्रैल, 2024 के माध्यम से अधोलिखित परामर्श प्रदान किया गया है:—

"उल्लेखनीय है कि संस्थान की प्रथम विनियमावली—2011 के नियम—105 में निम्न व्यवस्था है:—

"--------New Pension Scheme will be applicable to employees appointed on or after, April, 2005".

इस प्रकार स्पष्ट है कि appointment date ही Cut off date है।"

अतः उक्त के प्रकाश में दिनांक 01—04—2005 अथवा उसके पश्चात नियुक्त कर्मचारीगण नई पेंशन योजना से आच्छादित माने जाएगें।

यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ खण्डपीठ में योजित रिट याचिकाओं सं0 रिट—ए 8901 ऑफ 2023 (अखिलेश कुमार शर्मा एवं अन्य बनाम स्टेट आफ यू0पी0 एव अन्य) तथा याचिका स0 रिट ए—9773 ऑफ, 2023 (लता सचान एवं 45 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य) में पारित आदेशों (Subject to orders of Hon'ble High Court) के अधीन प्रभावी होगा।

(प्रो0 राधा कृष्ण धीमन)
निदेशक।

प्रतिलिपिः—

1— श्री अखिलेश शर्मा एवं अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य द्वारा मा0उच्च न्यायालय, इलाहाबाद,लखनऊ खण्डपीठ में योजित याचिका सं0 रिट—ए 8901 ऑफ 2023 के कम में सूचनार्थ।
2—श्रीमती लता सचान एवं 45 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य द्वारा मा0उच्च न्यायालय, इलाहाबाद,लखनऊ खण्डपीठ में योजित याचिका सं0 रिट—ए 9773 ऑफ 2023 के कम में सूचनार्थ।
3— मुख्य चिकित्सा अधीक्षक।
4— चिकित्सा अधीक्षक।
5— वित्त अधिकारी।
6— संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
7— कार्यपालक कुल सचिव।
8— विभागाध्यक्ष— बायोस्टेट एवं इनफारमेटिक्स को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को संस्थान की बेवसाईट पर संस्थान कर्मियों के सूचनार्थ अपलोड करवाने का कष्ट करें।
7— विधि प्रकोष्ठ।
8— व्यक्तिगत पत्रावली।

(प्रो0 राधा कृष्ण धीमन)
निदेशक।